

**श्री मनोज कुमार, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल सूचना
संख्या-18/2/362 का उत्तर प्रतिवेदन**

प्रश्न	उत्तर
<p>अरवल जिला के कलेर प्रखंड में बलिदाद एवं रूपसागर विगहा के बीच सोन नहर पर आवागमन हेतु पुल के अभाव में आमलोगों को काफी कठिनाई होती है।</p> <p>अतः पुल के निर्माण हेतु सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● प्रश्नगत स्थल पटना मुख्य नहर के कि०मी० 56.60 पर अवस्थित है। इस स्थल पर नहर का रूपांकित जलश्राव 1400 क्यूसेक है। ● प्रश्नगत स्थल से 1.50 कि०मी० अपस्ट्रीम में पटना मुख्य नहर पर एक पुल (हरदिया पुल) एवं डाउनस्ट्रीम में 1.00 कि०मी० पर बलिदाद लॉक पुल पूर्व से निर्मित है, जिसका उपयोग आमलोगों द्वारा आवागमन हेतु किया जाता है। ● विभागीय मापदण्ड के अनुसार नहर का जलश्राव 1000 घनसेक से 5000 घनसेक रहने पर दो पुलों के बीच की मान्य दूरी 2.41 कि०मी० निर्धारित है। ● यदि पुल निर्माण से संबंधित विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र की मांग की जाती है, तो जल संसाधन विभाग द्वारा नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाएगा। ● वर्तमान में प्रश्नगत स्थल पर पुल निर्माण कराने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग**

ज्ञापांक :- 26/वि०स०-03-12/2026

पटना/दिनांक :.....

प्रतिलिपि : उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :- 26/वि०स०-03-12/2026

पटना/दिनांक :.....


प्रतिलिपि : अधीक्षण अभियंता, यो० एवं मो० अंचल-03, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

4
ज्ञापांक :- 26/वि0स0-03-12/2026 304। पटना/दिनांक : 2/6/26.....

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं
कार्यपालक अभियंता आई0टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


2/6/26

(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव